वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अन्तराट्रीय रंग मंच पर अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दोनों पहलु उतर–दक्षिण संवाद, दक्षिण–दक्षिण संवाद वास्तविक प्रगति नही कर पाये है फिर भी हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि न्याय व समानता पर आधारित नयी अर्न्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न केवल विकासशील देशों के लिए लाभाकारी है अपितु विकासित देशों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुआ है।

**संदर्भ–ग्रंथ सूचिः–**

1. डा०एस0सी० सिंहलः समकालीन राजनीतिक मुद्दे–पृष्ठ–70
2. वही–पृष्ठ– 71
3. अरूणदत शर्माः राजनीतिक विज्ञान– पृष्ठ–803
4. वहीं–पृष्ठ– 804

# न्यायिक प्रक्रिया में देरी का कारण और सुधार के उपाय : एक अध्ययन

**डॉ. निशा कुमारी***

किसी विधि के विपरीत आचरण को अपराध कहते हैं और जो लोग अपराध करते हैं, उनको सजा देने वाली प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। न्यायिक प्रक्रिया को जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विधि अथवा कानून क्या है। वास्तव में कानून रिवाजों पर आधारित होता है, लेकिन प्रत्येक रिवाज कानून नहीं होता है। केवल वही रिवाज कानून बनते हैं, जिन्हें विधि का बल प्राप्त होता है। ये रिवाज दो तरह के होते हैं[1] – (1.) परंपराएं, और (2.) कानून। सभी पारंपरिक रिवाजों को भले ही कानूनी अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन यह लोगों के बीच प्रचलित होता है। कानूनी रिवाजों के दो प्रकार होते हैं– स्थानीय रिवाज और सामान्य रिवाज। इन रिवाजों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। क्रिमिनल लॉ के मुताबिक अपराध विधि के द्वारा निषिद्ध भी है और समाज के नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध भी है।[2]

भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में एक कहावत प्रस्द्धि है कि यहां शायद ही किसी को सजा मिलती है, क्योंकि यहां की न्यायिक प्रक्रिया इस बात पर चलती है कि भले ही 99 अपराध करनेवाले छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसका परिणाम होता है कि अपराध के दोष–सिद्धी में सदियां बीत जाती है। निचली अदालत से शीर्ष अदालत तक जाते–जाते अपराधी छूट जाते हैं। इससे पीड़ित पक्ष ठगा महसूस करता है और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाते हैं। जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण निर्दोष व्यक्ति भी यदि किसी केस में फंस जाता है तो वर्षों तक इस न्यायिक प्रक्रिया की चक्की में पिसता रहता है। भारत में न्यायपालिका की प्रक्रिया इतनी जटिल एवं खर्चीली होती है कि न्यायपालिका से न्याय पाना अब गरीब आदमी के लिए मुश्किल होता है।[3] भारत में न्यायिक संरचना ऐसी है कि नीचे से उपर तक व्यक्ति अपील करता जाता है और न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती जाती है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना को इस प्रकार समझा जा सकता है[4]–

***पीएच.डी. राजनीतिविज्ञान, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर**

भारत में न्यायपालिका की संरचना

⇩

सर्वोच्च न्यायालय

⇩

राज्य उच्च न्यायालय

⇩

जिला न्यायालय न्यायधिकरण (ट्रिब्यूनल्स)

**भारत में न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण**–भारत में न्यायिक प्रक्रिया में देरी के लिए कई कारक जिम्मेदार है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है– भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक अपील करने का अधिकार और जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की कम संख्या का होना। भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर दस–बारह न्यायाधीश है, जबकि इतनी ही आबादी पर अमेरिका में 125, इंग्लैण्ड में 100 तथा भारत के पड़ोसी देशों में 30 न्यायाधीश हैं।[5] हाल के वर्षों में यह संख्या बढ़ी है, लेकिन दूसरे देशों की अपेक्षा अभी भी भारत में न्यायधीशों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम ही है। भारत में नीचे से शीर्ष स्तर तक अपराधियों के अपील करने के अधिकार के कारण लंबित केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर न्यायाधीशों की सीमित संख्या के कारण लंबित केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। निचली अदालतों में लंबित केसों की संख्या को इस प्रकार है[6] –

निचली अदालतों में लंबित केसों की संख्या

60 साल से अधिक समय से लंबित केस – 140

30 साल से अधिक समय से लंबित केस – 66,000

कुल लंबित केसों की संख्या – 2.9 करोड़ ।

जिस स्पीड में भारत में केसों को निपटाया जा रहा है और जितनी लंबित केसों की संख्या है, उसको देखकर कर कहा जा सकता है कि इसे निपटाने में लगभग 324 साल लग जाएंगे।[7]

अभी भारत में न्याय की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें भले ही प्रावधान किया गया है कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी, लेकिन व्यवहार में यह कानूनी पेंचो में उलझ कर रह जाता है। न्यायालयों में होनेवाले खर्च से गरीब लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं तथा न्यायालय से बाहर शोध–प्रतिशोध लेना शुरु कर देते हैं, जिससे न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था घटती जाती है। इससे पुलिस केस की संख्या बढ़ती जाती है और अनावश्यक तौर पर लंबित केसों की संख्या भी बढ़ती जाती है।



भारत में एक अन्य परंपरा देखने को मिल रही है कि लोग आपसी विवाद अथवा संपति के विवाद को दूसरे केस में बदलकर अदालतों में पहुंच जाते हैं। एक साधारण से संपति विवाद को लेकर लोग हरिजन एक्ट अथवा रेप केस तक दर्ज करवा देते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति परेशान होता रहे।

**भारत में प्रक्रिया न्यायिक में सुधार के उपाय**–न्यायिक प्रक्रिया में अनेक स्तरीय न्यायालयों में अपील के अधिकार की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। छोटे–मोटे विवादों को निचली अदालतों में ही निपटाना चाहिए और उपरी अदालतों में सीमित संख्या में अपील की जानी चाहिए। ग्राम पंचों और ग्राम न्यायालयों में विवाद को निपटा दिया जाना चाहिए ताकि उपरी अदालतों पर अनावश्यक बोझ न बढ़े। जनसंख्या के अनुपात में न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि तेजी से मामलों का निपटान हो सके। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों तथा न्यायिक कर्मचारियों के पदों की संख्या एवं वार्षिक कार्यदिवसों में बदलाव किया जाना चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए और न्यायमूर्ती आर.एम. लोढ़ा के विचारानुसार न्यायालयों को 365 दिनों तक खोला जाए। न्यायालयों से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश को खत्म किया जाए।

फास्ट ट्रेक अदालतों के त्वरित निष्पादन को देखकर महत्वपूर्ण केसों को इन अदालतों में निपटाया जाए और फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए। फिलहाल भारत में लोक अदालत के चार मॉडल है[8]– 1.राज्य बोर्ड के कानूनी अनुदान द्वारा संचालित लोक अदालत, 2. गुजरात के रामपुर जिला में आनंद निकेतन आश्रम में लोक अदालत, 3. हिमाचल प्रदेश के अदालतों में लोक अदालत, तथा 4. बंगलौर में संपत लेंगर द्वारा संचालित लोक अदालत।

झूठे वाद दायर करने वाले वादी के साथ ही वकील भी कार्रवाही की जानी चाहिए ताकि कानून के जानकार इसके साथ खेल न खेले और किसी व्यक्ति को अनावश्यक रुप से परेशान कर अदालतों के चक्कर न लगवाए। झूठी गवाही देने वालों पर भी उल्टा दण्ड देने की व्यवस्था को कठोर बनाया जाए, ताकि लोग अदालत में अनावश्यक रुप से बोझ न बढ़ाएं।

फिलहाल भारत में केस दायर करने की प्रवृति और संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसका प्रमुख कारण बढ़ती आबादी भी है। इसलिए जरुरी है कि आबादी पर नियंत्रण हो और लोगों में न्यायालय के बाहर ही शांति से रहने की प्रवृति का विकास हो।

भारत में त्वरित न्याय के लिए केसों के शीघ्र निपटान की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपराध करने से डर लगे कि सजा मिलकर ही रहेगी और इसके लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। वर्ष 2019 में आंकड़ों के मुताबिक भारत में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध के निपटान का आंकड़ा है[9] – हत्या के कुल मामलों की जांच –48,553, कुल मामलो में सजा की संख्या – 6,961, इसमें सजा की दर 41.9 प्रतिशत रही। रेप केसों की कुल संख्या – 45,536, अनुसंधान के बाद सजा की संख्या – 4,660 यानि सजा की दर 27.8 प्रतिशत रही। अपहरण के कुल मामले – 1,73,245 रहे जिसमें कुल 3,952 मामलों में सजा मिली यानि सजा की दर 24.9 प्रतिशत ।

यदि किसी न्यायधीश, वकील अथवा न्यायालय के कर्मचारी द्वारा घुसखोरी, भ्रष्टाचार, अपराध को बचाने और निर्दोष को फंसाने जैसे गैर–कानूनी कार्य किये जाते हैं तो ऐसे लोगों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, ताकि न्यायपालिका में लोगों की आस्था फिर से बहाल हो सके।

केवल परेशान करने के लिए संपति विवाद को लेकर झूठे केस दायर करने वालों अथवा संपति विवाद में हरिजन उत्पीड़न या रेप केस करने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और उल्टे उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

अंत में कह सकते है कि न्यायिक प्रक्रिया में होनेवाली देरी को रोकने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है कि लोग अपने आचरण में सुधार करें। जबतक लोग में सदाचार और नैतिक मूल्यों का समुचित तौर पर विकास नहीं होगा, न तो न्यायालय में दायर होनेवाले केसों की संख्या में कमी होगी और न ही लंबित केसों की संख्या में कमी होगी। केवल पुलिस या वकील या न्यायाधीश से अपेक्षा करना कि वे न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित गति से निपटा देंगे, गलत होगा, क्योंकि जबतक आम आदमी भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अपराध जैसे कृत्यों से हटकर सही दिशा में काम नहीं करते हैं, यह सुधार संभव नहीं है और इसके लिए स्कूल एवं कॉलेज के स्तर पर ही छात्रों को नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए।

**संदर्भ स्त्रोत –**


1. कुमार, अविनाश, "इंडियन लीगल सिस्टम", सिंघल लॉ पब्लिकेशन, पृ.–1।
2. स्टीफेन, जनरल व्यू ध्फ क्रिमिनल लॉ ध्फ इंग्लैण्ड, पृ.–3, उर्द्धत, मिश्रा, सूर्यनारायण एवं मिश्रा कुमार, संजय, भारतीय दण्ड संहिता, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, 2007, पृ.–3।
3. पादकीय, दो टूक न्याय, 'जनसत्ता', नई दिल्ली, 30.11.1999।





4. डे, रोहित, "अ पीपुल्स कंस्टीट्यूशन, द एवरीडे लाईफ ध्फ लॉ इन द इंडियन रिपब्लिक", प्रिंसटन यूनिर्वसिटी प्रेस, न्यू जर्सी, पृ.– 13।
5. बेदी, किरण, "भारतीय पुलिस, जैसा मैंने देखा", डायमंड पॉकेट बुक्स, पृ–13।
6. कुमार, रवि, भारत नें न्यायिक प्रक्रिया की बाधाएं,' नव भारत टाईम्स', नई दिल्ली, संस्करण, 1.1.2019, पृ.– 5।
7. कुमार, रवि, भारत नें न्यायिक प्रक्रिया की बाधाएं, 'नव भारत टाईम्स', नई दल्ली संस्करण, वही।
8. कुमार, अविनाश, "इंडियन लीगल सिस्टम", सिंघल लॉ पब्लिकेशन, पृ.–1 ।
9. भारत में अपराध– 2019, VOL-1 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, https:/ /ncrb.gov.in/en/crime-india-2019–0।


****